UPHR010049272026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, एच०जे०एस०

(J.O. Code U.P. 5728)

<u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2349/2026</u>

1. पवन पुत्र राजेन्द्र उर्फ पप्पू, निवासी मो० पठकाना, कस्बा व थाना शाहाबाद, जनपद हरदोई।

2. करन पुत्र अरविन्द कुमार, निवासी मो० नई बस्ती, कस्बा व थाना शाहाबाद, जनपद हरदोई। ----------आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ---------- विपक्षी।

<u>दिनांकः 20.07.2026</u>

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण पवन व करन की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 136/2026, अन्तर्गत धारा 61(2), 123, 317(2), 318(4), 319(2) बी०एन०एस०, थाना पचदेवरा, जनपद हरदोई के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में कैलाश द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, न विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा माया देवी की ओर से थाना स्थानीय पर इस आशय की रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 26.06.2026 को समय करीब 03:00 बजे दिन में वादिनी मुकदमा के दरवाजे पर दो पण्डित चंदन वंदन लगाकर आये, कहा भण्डारा करने को कुछ दान कर दो। उसने 100/– रूपये की पर्ची कटवायी तभी उन्होंने उसके सिर के ऊपर धागा घुमाया। वह बेहोश हो गयी। उक्त पण्डितों ने उसके कानों के कुण्डल निकाल लिए और मोटरसाइकिल से भाग गये, जिनका हुलिया रंग श्यामला व लंबाई लगभग 5 फुट 3 इंच व दूसरे का हुलिया रंग गोरा लंबाई 5 फुट 5 इंच, जो दाढ़ी भी रखे था। वादिनी मुकदमा व उसका लड़का मोहित उन दोनों के सामने आ जाने पर पहचान लेंगे। जब वह होश में आयी तब अपने लड़के को फोन खेत पर किया। घटना की

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.07.20 17:15:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बात बतायी। तब उसका लड़का आया, पर्ची में पड़े मोबाइल नंबर से बात किया, लेकिन पण्डित चले गये।

4. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उनको झूठा फंसाया गया है। उनको गाँव की पार्टीबन्दी की वजह से झूठा एवं रंजिशन फर्जी घटना दर्शाकर अभियुक्त बनाया गया है। वे उपरोक्त मुकदमा में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उनके पास से किसी वस्तु का बरामद होना नहीं कहा गया है। कथित घटना का कोई भी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

7. जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय अभियोजन पक्ष की तरफ से केस डायरी के प्रासंगिक पर्चे सहित अन्य अभियोजन प्रपत्रों को प्रस्तुत किया गया है। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रकरण में नामजद नहीं है। अभियोजन कथानक के अनुसार, आवेदकगण/अभियुक्तगण व अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा योजनाबद्ध तरीके से छलकपट करते हुए वादिनी मुकदमा के सिर पर धागा घुमाकर उसे बेहोश कर दिया और उसके कान के कुंडल चोरी कर लिये। आवेदकगण/अभियुक्तगण इस प्रकरण में दिनांक 06.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार, हरदोई में निरूद्ध है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **पवन** एवं **करन** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मुबलिग **50,000/– (पचास हजार)** रूपए का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण में सहयोग करेंगे तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होंगे।

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण आरोप तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० जैसी सारवान तिथियों पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।
3. आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेंगे।
4. आवेदकगण/अभियुक्तगण जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेंगे तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देंगे।
5. आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होंगे तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जाएंगे।

आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

(रीता कौशिक)

दिनांकः 20.07.2026

सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।